उत्तर प्रदेश शासन
राष्ट्रीय एकीकरण विभाग
संख्या–70/8/69–रा0एकी0 (एम0आर0–86)
दिनांक : लखनऊ 17 नवम्बर 1970

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल, राष्ट्रीय एकीकरण के लिये कार्यरत गैर सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों को तदर्थ अनुदान, जिसे विवेकानुदान की भांति मंत्री (मुख्यमंत्री) उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, से सम्बन्धित निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

नियमावली

राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कार्यरत गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों को तदर्थ अनुदान नियमावली, 1970

संक्षिप्त नाम

1– यह नियमावली राष्ट्रीय एकीकरण के लिये कार्यरत गैर–सरकारी स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों को तदर्थ अनुदान नियमावली, 1970 कहलायेगी।

अनुदान स्वीकृत करने के लिए शर्तें

2– (1) इस नियमावली के अधीन अनुदान ऐसी रजिस्ट्रीकृत शिक्षा संस्थाओं या रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक तथा अर्ध–सार्वजनिक प्रकार के निकायों या व्यक्तियों को दिये जा सकते हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कार्यरत हों या उस कार्य को करने के लिए इच्छुक हो और जिन्हें सरकार द्वारा या सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुदान के लिए अर्ह समझा जाय।

(2) उपर्युक्त के लिए व्यवस्थित धनराशि की अनुपूर्ति बजट(आय–व्ययक) के अन्य शीर्षकों के अधीन निधियों का पुनर्विनियोग करके नहीं की जायेगी।

(3) पूर्णतः निजी प्रकार की कोई भी अभिदान इस अनुदान के नामें नहीं डाला जायेगा।

(4) ऐसा अनुदान सदैव ही अनावर्तक अनुदान होगा।

अनुदान का प्रयोजन

3– अनुदान ऐसे शैक्षिक, साहित्यक तथा सम्बद्ध विषयों से सम्बन्धित प्रयोजनों और कार्यो के लिए दिये जायेगें जो राष्ट्रीय एकीकरण के निमित्त हो और जिनके लिए बजट में पहले से कोई व्यवस्था न हो। ऐसा कोई भी अनुदान अभियांत्रिकी, (तकनीकी) चिकित्सीय तथा अन्य व्यवसायिक शिक्षा के लिए नहीं दिया जायेगा।

4– कोई भी अनुदान किसी ऐसी संस्था या व्यक्ति विशेष को स्वीकृत नहीं किया जायेगा जिसे वर्ष के दौरान उसी प्रयोजन के लिए सरकार से पहले ही अनुदान मिल चुका हो।

अनुदान की धनराशि

5– अनुदान की धनराशि किसी व्यक्ति विशेष की दशा में 1000/– रूपये (एक हजार रूपये) और किसी संस्था या निकाय की दशा में 5000/– रूपये (पांच हजार रूपये) से अधिक न होगी।

लेखा रखना

6– इस अनुदान से किये गये समस्त व्यय की लेखा–परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी। जिसके पास अनुदान स्वीकृत करने के आदेश की एक प्रतिलिपि और प्राप्तकर्ता की यथविधि टिकट लगी हुई रसीद, यदि आवश्यक हो सरकार के राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा वित्त (व्यय–5) विभाग को सूचित करते हुए भेजी जायेगी।

कोई भी अनुदान किसी शिक्षा संस्था, निकाय या व्यक्ति विशेष को तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि यथा स्थिति, उक्त संस्था, निकाय या व्यक्ति विशेष द्वारा इस निधि से दिये गये किसी पिछले अनुदान के सम्बन्ध में उपयोग प्रमाणक न दे दिया जाय।

लेखों का परीक्षण

7– अनुदान से किये गये व्यय के सम्बन्ध में अनुदान गृहीताओं के लेखों का निरीक्षण सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा तदर्थ यथा विधि प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

8– अनुदान– गृहीता, अनुदान से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में ऐसी समस्त सूचना देगा जो राज्य सरकार या नियम–7 में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा मांगी जाय।

अनुदान का उपयोग

9– (1) अनुदान–गृहीता अनुदान या उसके किसी भाग का उपयोग सरकार द्वारा स्वीकृत किसी अनार्वतक या अनुदान के लिए "प्रबन्धक के अंशदान" (मैनेजर्स कन्ट्रीब्यूशन) के रूप में नहीं करेगी।

(2) अनुदान – ग्रहीता द्वारा अनुदान लेने के दिनांक से नौ महीने के भीतर उसका उपयोग किया जायेगा और ऐसा न करने पर यथास्थिति, पूर्ण अनुदान या उसका अव्ययित भाग राज्य सरकार को एक मुश्त धनराशि में वापस कर दिया जायेगा।

उपयोग प्रमाणक का भेजा जाना

10– राष्ट्रीय एकीकरण विभाग अनुदान–गृहीता द्वारा अनुदान लिये जाने के दिनांक से ग्यारह महीने के भीतर लेखा–परीक्षा कार्यालय के पास उचित उपयोग–प्रमाणक भी भेजेगा जिसमें यह बताया जायेगा कि अनुदान की शर्ते तथा उसके प्रयोजन यथोचित रूप से पूरे कर दिये गये है या नहीं।

अनुदान गृहीता द्वारा प्रमाण–पत्र

11–अनुदान गृहीता अनुदान प्राप्त करने के पूर्व भुगतान के बिल पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे इसी प्रयोजन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में, किसी अन्य विभाग से कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ और न ही वह एक वित्तीय वर्ष में उसी प्रयोजन के लिए कोई भी अनुदान लेगा।

आज्ञा से

ह0/
त्रिभुवन प्रसाद
सचिव

संख्या– 70(1)/8/69(1)–रा0एकी0(एम0आर0–86) तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी की प्रतिलिपि सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ शिविर / इलाहाबाद।
(3) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश।
(4) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त विभाग।
(5) भाषा विभाग (उर्दू अनुभाग) /कृपया विज्ञप्ति की उर्दू प्रतिलिपि शीघ्र भेजें।
(6) महालेखकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

आज्ञा से

ह0/
रामाधीन सक्सेना
अनु सचिव।